भंवरकुआ पुलिस ने 1.460 किलो गांजे के साथ आरोपी को पकड़ा

होस्टलों में गांजे की पुड़िया सप्लाई करता था संचालक

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत भंवरकुआ पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1.460 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 21 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार... आरोपी क्षेत्र के होस्टलों में विद्यार्थियों को गांजे की पुड़िया बनाकर सप्लाई करता था। पुलिस के अनुसार... नशामुक्ति अभियान के तहत थाना क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश और धरपकड़ के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में 30 अक्टूबर की रात पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश में जुटी थी। इस दौरान तीन इमली बस स्टैंड के पीछे खाली मैदान


पुलिस गिरफ्त में आरोपी, जिसके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ।

में युवक मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक का बैग लेकर बैठा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह घबराने लगा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम योगेश पिता रामजीलाल शर्मा, निवासी मेहोना, थाना मेहोना, जिला भिंड बताया। पुलिस ने उसके पास रखी प्लास्टिक की बोरी की तलाशी ली तो उसमें 1.460 किलोग्राम गांजा मिला।

विजय नगर में चलाता था होटल

पुलिस के मुताबिक... गिरफ्तार आरोपी योगेश शर्मा 12वीं तक पढ़ा है और विजय नगर क्षेत्र में होटल संचालन का काम करता था। होटल संचालन की आड़ में वह गांजे की सप्लाई भी करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी होस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को गांजे की पुड़िया बनाकर बेचता था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी गांजा कहां से लाता था और शहर में उसके साथ कौन-कौन लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं।

दो तस्करों से एमडी ड्रग्स जब्त, केस दर्ज

इंदौर। शहर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। राज्यस्तरीय एंटी नारकोटिक्स ड्रग अभियान के तहत चंदन नगर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 21 ग्राम एमडी ड्रग्स और मोटरसाइकिल जब्त की है। मामले में पुलिस टीम ने कलारिया रोड स्थित सांई प्लास्टिको कंपनी के सामने से आशिफ पिता अजीज शेख निवासी वारिस किराना के पास, सहयोग नगर और शाहिद पिता अजीज खान, निवासी चंदूवाला रोड, ई-सेक्टर नाले के पास, चंदन नगर को पकड़ा।

तेज रफ्तार क्रेन ने दो फाइनेंस कर्मचारियों को रौंदा, मौत

इंदौर। धार रोड पर नावदापंथ ब्रिज के समीप तेज रफ्तार क्रेन की टक्कर से निजी फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों की मौत हो गई। भिसनगढ़ शुजालपुर निवासी मोहित पिता रामसिंह (28) और झाबुआ निवासी नौशाद (30) ब्रिज के पास खड़े होकर अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आई क्रेन ने दोनों को चपेट में ले लिया। हादसे में मोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल नौशाद को एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

बड़ी भमोरी में अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा

घर में चल रहा था कारोबार, दो गिरफ्तार, 49 सिलेंडर जब्त



पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विजय नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी भमोरी स्थित मकान में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफिलिंग करते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। मौके से घरेलू और कमर्शियल सहित कुल 49 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और तौल कांटा जब्त किया गया है। 30 अक्टूबर को थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान बड़ी भमोरी के राम नगर के पास मुखबिर से सूचना मिली कि युवक अपने मकान में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर भरे हुए सिलेंडरों से खाली सिलेंडरों में गैस रिफिलिंग कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम मुकेश पिता सुखराम सोलंकी और नीलेश पिता मुकेश सोलंकी निवासी बड़ी भमोरी बताए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 287 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

संतान नहीं होने पर ताने, चार लाख की मांग, फांसी लगाकर दी जान



इंदौर। शिप्रा थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और ससुराल पक्ष की शारीरिक-मानसिक यातनाओं से परेशान होकर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने मृतका के पति, जेठ, जेठानी समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। मृतका गंगा उर्फ तितली को संतान नहीं होने पर आए दिन ताने दिए जाते थे। इसके अलावा मायके से चार लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने पति विकास पिता बिहारी नाथ, जेठ अनिल, जेठानी राधाबाई और बबलू पिता गब्बूलाल नाथ निवासी गंगा घाटी गारी पिपलिया के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

त्योहारों से पहले पुलिस का बदमाशों पर शिकंजा

9 जिलाबदर, 5 अपराधियों को देना होगी थाने में नियमित हाजिरी






पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

आगामी त्योहारों के दौरान शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आदतन और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में 9 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया है, जबकि 5 आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं। आदेश अनुसार... फैजान उर्फ टिन्ना पिता मंजूर अली, निवासी इमामबाड़े के पास थाना चंदन नगर 3 माह, फरीद खान पिता अब्दुल कमर उर्फ मुन्ना खान निवासी मेवाती मोहल्ला थाना एमजी रोड 3 माह, करण पिता भग्गू उर्फ भगवान वाकोड़े निवासी पंचशील नगर थाना एरोड्रम 6 माह, उत्कर्ष पिता शैलेंद्र दुबे निवासी शंकरगंज जिंसी थाना मल्हारगंज 3 माह, योगेश उर्फ शेरा पिता राजेंद्र उर्फ राजू बारोड़ निवासी श्रीराम बजरंग नगर थाना लसूड़िया 6 माह, रिंकू उर्फ विकास पिता मोहन लोधी निवासी आइडिया मल्टी स्कीम नंबर 140 थाना तिलक नगर 3 माह, विनोद उर्फ पन्नू पिता प्रमोदसिंह जादौन निवासी जनता क्वार्टर थाना परदेशीपुरा 3 माह, आर्यन पिता स्व. राजेंद्र पटेल निवासी मां शारदा नगर थाना हीरानगर 3 माह, राहुल उर्फ पप्पू पिता बीरेंद्र कोष्टी निवासी मेघदूत नगर थाना हीरानगर को 3 माह के लिए इंदौर और सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर रहना होगा, वहीं धर्मेंद्र उर्फ छोटू पिता कमल किशोर धीमान निवासी बड़ी ग्वालटोली थाना पलासिया 1 वर्ष, संतोष पिता राजकुमार तलगैया निवासी श्यामचरण शुक्ला नगर थाना संयोगितागंज 1 वर्ष, दीपक पिता हंसराज शिंदे निवासी स्कीम नंबर 78 थाना लसूड़िया 1 वर्ष, प्रभाकर पिता कैलाश बिसे निवासी निरंजनपुर नई बस्ती थाना लसूड़िया 1 वर्ष, रामबहादुर पिता चंद्रिका प्रसाद कैथवास निवासी कुलकर्णी का भट्ठा थाना परदेशीपुरा 6 माह तक संबंधित थाने पर हाजिरी देंगे।

जीएनटी मार्केट के लकड़ी के पीठे में भीषण आग

इंदौर। जीएनटी मार्केट स्थित लकड़ी के पीठे में शनिवार तड़के करीब पांच बजे अचानक आग लग गई। देखते-ही-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत और छह हजार लीटर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। आग हिम्मतसिंह पिता अंतरसिंह के लकड़ी के पीठे में लगी थी। हादसे में आरा मशीन, कटर मशीन, धार मशीन और बड़ी मात्रा में रखी लकड़ियां जलकर राख हो गईं। प्रारंभिक जांच में शॉर्टसर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

करंट लगने से युवक की मौत, जांच शुरू

इंदौर। पलासिया थाना क्षेत्र में काम के दौरान करंट की चपेट में आने से मुशर्रफ पिता सिराज (25) निवासी जमजम चौराहा, खजराना की मौत हो गई। वह काम के सिलसिले में पलासिया क्षेत्र में मौजूद था, तभी अचानक करंट लगने से बेसुध हो गया। उसे तत्काल एमवाय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

घर में बैठकर खिला रहा था ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा

6 मोबाइल, लैपटॉप और हिसाब का रजिस्टर जब्त



पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले युवक को लसूड़िया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर पर बैठकर लैपटॉप और मोबाइल के जरिए सट्टा साइट संचालित कर रहा था। पुलिस ने मौके से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हिसाब का रजिस्टर और 4 हजार रुपए नकद जब्त किए हैं।

जब्त सामग्री की कुल कीमत एक लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार... आरोपी ऑनलाइन सट्टा खिलाने के बदले 10 प्रतिशत कमीशन लेता था। अब उससे इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कमलसिंह पिता हेमसिंह चंदेल निवासी मोहिनी मेंशन पंचवटी को पकड़ा।

त्योहारों से पहले पुलिस की पाठशाला, 58 बदमाशों को थमाए रेड-येलो नोटिस

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में शांति बनाए रखने पुलिस ने आदतन और सक्रिय अपराधियों की निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में अनुभाग हीरानगर के अंतर्गत आने वाले बाणगंगा और हीरानगर थाना क्षेत्रों के 58 सक्रिय अपराधियों को थाने बुलाकर 'पुलिस की पाठशाला' आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों को भविष्य में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की सख्त हिदायत दी, साथ ही त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, मारपीट या झगड़े से दूर रहने की समझाइश दी गई। सभी को रेड और येलो नोटिस तामील कराते हुए पाबंद भी किया गया।

'मेरा मोहल्ला, नो हल्ला' अभियान से जोड़ा- पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों को 'मेरा मोहल्ला, नो हल्ला' अभियान की जानकारी देते हुए उन्हें पुलिस का सहयोगी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्हें बताया कि मोहल्ले में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि होने या अवैध वस्तुओं के भंडारण की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। विशेष रूप से अवैध रूप से रखे जा रहे पटाखों, शराब और मादक पदार्थों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने के लिए कहा गया। ऐसी सूचनाएं देने और मोहल्ले में शांति बनाए रखने में सहयोग करने वालों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई। पुलिस अधिकारियों ने समझाया कि अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों और अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन बिताएं।



उन्हें स्पष्ट किया गया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, विवाद या आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगी। पुलिस की पाठशाला में एडीसीपी जोन-3 ओमप्रकाश, एसीपी हीरानगर रूबीना मिजवानी, थाना प्रभारी बाणगंगा सियाराम गुर्जर और प्रभारी थाना प्रभारी हीरानगर कमल किशोर मौजूद रहे।

सुगनीदेवी कॉलेज के सामने मिला महिला का शव, केस दर्ज

इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात सुगनीदेवी कॉलेज के सामने बंद दुकानों के पास पिंकी पति गणेश (35) निवासी तीन पुलिया का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। उसके भाई राजकुमार ने पति गणेश पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गणेश ने ही मृतका की मौसी राधाबाई को फोन कर शव पड़े होने की जानकारी दी थी। पुलिस के अनुसार... घटना के बाद से गणेश फरार है। जांच की जा रही है।

Piramal Finance

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड
CIN : L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 601, 6ठीं मंजिल, पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्या कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400070, (टी) +91 22 3802 4000, शाखा कार्यालय: 503-505 मंजिल, ऐरेन हाइट्स स्कीम नंबर 54, पीयू-3, विजय नगर, इंदौर-452010
संपर्क व्यक्ति : 1. पीरामल फाइनेंस लिमिटेड - 022-69482444

ई-नीलामी बिक्री सूचना-आगामी बिक्री

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी ने 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे बताई गई सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। अब नीचे बताई गई अचल संपत्ति को खरीदने के लिए नीचे हस्ताक्षर करने वाले की ओर से ऑफर आमंत्रित किए जाते हैं। यह संपत्ति 'जैसी है, जहाँ है', 'जैसी है, वैसी है' और 'जो कुछ भी है, वैसा ही है' के आधार पर बेची जा रही है। इसकी जानकारी नीचे दी गई है :

ऋण कोड/शाखा/ ऋणी(यो)/ सह ऋणी (यो)/ जमानतदार(यो)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अंतिम संपत्ति का पता	आरक्षित मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (31-10-2026)
लोन कोड नंबर 00800012682, इंदौर-विजय नगर (ब्रांच), साजिद हुसैन (उधारकर्ता), शहनाज बी (सह - उधारकर्ता 1) तनवीर हुसैन (सह-उधारकर्ता 2)	दिनांक: 26-09-2019, रुपये 14,26,105/- (चौदह लाख छब्बीस हजार एक सौ पाँच रुपये मात्र)	संपत्ति का पूरा हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट नंबर 165, अरिहंत परिसर, सेक्टर-1, सर्वे नंबर 1049/2, रतलाम, रतलाम-457001 इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - यू/सी मकान, पश्चिम - कॉलोनी रोड, पूर्व - मकान, दक्षिण - खाली प्लॉट।	रुपये 23,62,500/- (तेईस लाख बासठ हजार पाँच सौ रुपये मात्र)	रुपये 2,36,250/- (दो लाख छत्तीस हजार दो सौ पचास रुपये मात्र)	रुपये 33,08,974/- (तैंतीस लाख आठ हजार नौ सौ चौहत्तर रुपये मात्र)

ई-नीलामी की तिथि : 19.11.2026 . सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 18.11.2026 शाम 4.00 बजे से पहले।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.piramalfinance.com/e-Auction.html में दिए गए लिंक को देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ईमेल करें।
सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को 15 दिनों का वैधानिक विक्रय नोटिस
ऊपर बताए गए उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे सेक्शन 13(2) के नोटिस में बताई गई रकम, आज तक के ब्याज के साथ, नीलामी की तारीख से पहले पूरी तरह चुका दें। ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर कोई बकाया रकम बचती है, तो उसे उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और खर्चों सहित वसूल किया जाएगा।
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन 8 की ओर दिलाया जाता है, जिसमें सुरक्षित एसेट को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताया गया है। उधारकर्ता और आम जनता कृपया ध्यान दें कि अगर किसी भी कारण से यहाँ तय की गई नीलामी सफल नहीं होती है, तो सुरक्षित लेनदार प्राइवेट ट्रीटी के जरिए अपनी सिक्योरिटी को लागू कर सकता है।

दिनांक: 01-11-2026
स्थान: रतलाम

हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल फाइनेंस लिमिटेड

AU SMALL FINANCE BANK A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए धवित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'(2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्थावर सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) L9001060124098338, जगन सिंह (सहऋणी एवं स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ के विधिक उत्तराधिकारी- ऋणी)	28 जनवरी 26 Rs. 6,69,295/- छः लाख उनहत्तर हजार दो सौ पिचानवे रुपए मात्र, 27 जनवरी 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच.नं. 66/113, ग्राम- निजामपुरा, तहसील एवं जिला- धार, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 2247 वर्ग फीट, पूर्व- बद्रीसिंह चौधरी की भूमि, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- अनीता बाई का मकान, दक्षिण- बद्रीसिंह की भूमि	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001060143140587, मैसर्स फैशन एरा (ऋणी), श्रीमती वंदना शर्मा (सहऋणी), वंदना साड़ी एवं लहंगा हाउस (सहऋणी), गिरधारी लाल शर्मा (सहऋणी)	16 जून 26 Rs. 17,31,080/- सत्रह लाख इकतीस हजार अस्सी रुपए मात्र, 16 जून 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 152/1, वार्ड नं. 10, रूट नं. 1, ग्राम- जवाहर मार्ग, तहसील- बदनावर, जिला- धार, मध्य प्रदेश, 454660, क्षेत्रफल 504 वर्ग फीट, पूर्व- श्री राजेंद्र पटेल का मकान, पश्चिम- श्री गोपाल शर्मा का मकान, उत्तर- कॉमन रोड, दक्षिण- श्री मांगीलाल जी शर्मा का मकान	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001071023644865, शांतिलाल नायक (ऋणी), गिरधारी नायक (सहऋणी), श्रीमती सुभद्रा (सहऋणी)	13 जुलाई 26 Rs. 4,28,703/- चार लाख अट्ठाईस हजार सात सौ तीन रुपए मात्र, 13 जुलाई 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम पंचायत मकान/दाखिला नं. 51, ग्राम- हतौला, तहसील- ठीकरी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 924 वर्ग फीट, पूर्व- शंकर का मकान, पश्चिम- विक्रम का मकान, उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- कैलाश का मकान	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001060121633916, राजकमल पाटीदार (ऋणी), श्रीमती रीना पाटीदार (सहऋणी), मांगीलाल पाटीदार (सहऋणी), श्रीमती सामू बाई पाटीदार (सहऋणी), रीना पाटीदार (सहऋणी)	17 जुलाई 26 Rs. 6,93,094/- छः लाख तिरानवे हजार चौरानवे रुपए मात्र, 17 जुलाई 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 06, पी.एच.नं. 14/31, ग्राम पंचायत खेड़ा, तहसील- बदनावर, जिला- धार, मध्य प्रदेश, 454660, क्षेत्रफल 1360 वर्ग फीट, पूर्व- मंजू बाई का मकान, पश्चिम- कॉमन रोड, उत्तर- स्वयं का प्लॉट, दक्षिण- कॉमन रोड	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001060818207702, विजय सोनकर (ऋणी), रवि सोनकर (सहऋणी), श्रीमती निर्मल सोनकर (सहऋणी), सूरज सोनकर (सहऋणी)	06 अगस्त 26 Rs.14,95,677/- चौदह लाख पिचानवे हजार छः सौ सतहत्तर रुपए मात्र, 06 अगस्त 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच.नं. 61, सर्वे नं. 384/1, ग्राम- पीथमपुर, जिला- धार, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 575 वर्ग फीट, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- रामप्रसाद का मकान, उत्तर- सूरज बाई के मकान का शेष भाग, दक्षिण- शेरसिंह का मकान	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001060715965575, संदीप हरोड़ (ऋणी), श्रीमती सुशीला (सहऋणी)	11 अगस्त 26 Rs. 26,18,429/- छब्बीस लाख अट्ठारह हजार चार सौ उनतीस रुपए मात्र, 11 अगस्त 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 561, माली धर्मशाला के सामने, ग्राम- हरसोला, तहसील- महू, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 1082 वर्ग फीट, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- पूनम चंद का मकान, दक्षिण- रामचंद्र का मकान	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001060145310521 एवं L9001060141339488, सूरज अतोलिया (ऋणी), श्रीमती रितुबाला अतोलिया (सहऋणी), आनंदी लाल (सहऋणी)	11 अगस्त 26 Rs. 3,90,094/- तीन लाख नब्बे हजार चौरानवे रुपए मात्र एवं Rs. 6,16,605/- छः लाख सोलह हजार छः सौ पाँच रुपए मात्र, 11 अगस्त 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 41-2, सर्वे नं. 392, पी.एच.नं. 98, ग्राम- गांडीखेड़ा ठाकुर, तहसील- सरदारपुर, जिला- धार, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 222.22 वर्ग गज	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001060143016653 एवं L9001060133782150, मैसर्स अश्विन फर्नीचर एवं पेंटर्स जरिए प्रोपराइटर लोकेंद्र अंखे (ऋणी), लोकेंद्र अंखे (सहऋणी), श्रीमती हीरा बाई अंखे (सहऋणी), श्रीमती बुलबुल अंखे (सहऋणी), बसंती लाल अंखे (सहऋणी)	11 अगस्त 26 Rs. 2,15,054/- दो लाख पंद्रह हजार चौवन रुपए मात्र एवं Rs. 10,41,750/- दस लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास रुपए मात्र, 11 अगस्त 2026 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच.नं. 03 नया 04, मकान पंजी नं. 355, वार्ड नं. 05, ग्राम- सजोद, तहसील- सरदारपुर, जिला- धार, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 1530 वर्ग फीट, पूर्व- पूनम चंद का मकान, पश्चिम- कमलाबाई का मकान, उत्तर- कॉमन रोड, दक्षिण- धाकड़ धर्मशाला	30 अक्टूबर 26
(ऋण खाता संख्या) L9001071035234801, सुरेश गुर्जर (ऋणी), श्रीमती शिव बाई (सहऋणी), हीरालाल गुर्जर (सहऋणी), श्यामलाल गुर्जर (सहऋणी)	16 सितम्बर 25 Rs. 5,00,231/- पांच लाख दो सौ इकतीस रुपए मात्र, 12 सितम्बर 2025 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 143 मिन., पी.एच.नं. 9, नगर पालिका वार्ड नं. 01, दाग बड़ोद रोड, कस्बा बड़ोद, जिला- शाजापुर, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट, पूर्व- विक्रेता की भूमि, पश्चिम- रोड, उत्तर- रोड, दक्षिण- विक्रेता की भूमि	29 अक्टूबर 26

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।
ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ सपठित नियम 8(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अर्थात इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है।
ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 31.10.2026 स्थान: इन्दौर, मध्य प्रदेश
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

Yellow Diamond

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर - 452020, मध्य प्रदेश, भारत **फोन:** (91 731) 243 7604/642
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in **वेबसाइट:** www.yellowdiamond.in

सितंबर 30, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई तथा उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उनकी संबंधित बैठकों में, जो कि 30 अक्टूबर, 2026 को आयोजित हुई, अनुमोदित किया गया है।

30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए पूर्ण अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("स्टॉक एक्सचेंज") में प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर भी उपलब्ध हैं। उक्त परिणाम क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखे जा सकते हैं।

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
अमित कुमत
प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डिआईएन: 02663687

स्थान: इंदौर
दिनांक: अक्टूबर 31, 2026